न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/372

धनराज आत्मज बंशीलाल जाति मेहर निवासी चेचट तहसील चेचट जिला कोटा राजस्थान

–अपीलांट

बनाम

1. राजेश कुमार तंवर पुत्र मोहनलाल निवासी चेचट तहसील चेचट जिला कोटा (राज०)
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार चेचट जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहसः– 1.श्री दिलदार सिंह, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2.श्री वीरेन्द्र सोनी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 23.12.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 06/2024 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पो0 सं0 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी की आराजी ग्राम मवासा पटवार हल्का सालेडाखुर्द तहसील चेचट में कब्जे स्वामित्व की खाता स० 57 की खसरा न. 909 की रकबा 2.1800 हैक्टेयर, स्थित है। जिस पर प्राथी के पास कोई रास्ता नही होने के कारण पडौसी खातेदारान की आराजी में होकर, काश्त करता आ रहा था किन्तु प्रार्थी को अन्य खातेदारान द्वारा अपनी आराजीयात से निकलने के लिये रोक दिया गया है, जिससे प्रार्थी की आराजी पडत पड़ी हुई है और उसे दिनो दिन आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी की आराजी, खाता सं० 57 के पास ही अप्रार्थी कम 1 की खसरा न. 906 की रकबा 0.5400 हैक्टयर आराजी स्थित है तथा अप्रार्थी

कम 1 की आराजी के दक्षिण दिशा में सरकारी भूमि खसरा न० 919 स्थित है, जिससे अप्रार्थी कम 1 व अन्य खातेदारान रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थी के आराजी पर आने जाने का व कृर्षि यंत्र लाने ले जाने व ट्रेक्टर हकांई जुताई हेतु लेकर जाने के लिए कोई वर्तमान में रास्ता मोजूद नही है। प्रार्थी अपनी आराजी पर अन्य खातेदारान से हाथा जोडी करके निकलता आया है किन्तु उसकी आराजी पर आने जाने का स्थायी रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी की आराजी पर जाने आने का करीबी रास्ता ग्राम मवासा की खसरा न० 906 की रकबा 0.5400 हैक्टयर आराजी की पश्चिमी मेड से होकर आम रास्ता खसरा न० 919 में जाने वाले रास्ता तक सुविधाजनक होगा। उक्त रास्ता के अलाव अन्य कोई करीबी रास्ता नही हो सकता है। पूर्व में भी प्रार्थी अपनी आराजी पर अप्रार्थी कम 1 की आराजी पर होकर ही अपनी फसल लाता ले जाता व निकलता रहा है। प्रार्थी को अपनी आराजी पर आने जाने के लिए अप्रार्थी कम 1 की आराजी खसरा न० 906 की रकबा 0.5400 हैक्टयर आराजी की पश्चिमी मेड के पास, प्रार्थी की आराजी खसरा न० 909 से खसरा न0 919 के पास तक 15 फुट चौडाई तथा खसरा न० 909 से खसरा न० 919 तक लम्बाई तक, रास्ते की आवश्यकता है, अन्यथा प्रार्थी भविष्य में अपनी फसल नही बो सकेगा, व आजीविका का एक मात्र साधन उक्त कृर्षि भूमि होने के कारण, भूखो मरने की स्थिति पैदा हो जावेगी। जिसकी पूर्ति द्रव्य से सम्भव नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों में माननीय न्यायालय से इस आशय का आदेश प्राप्त करना आवश्यक हो गया है कि अप्रार्थी कम 1 की आराजी खसरा न० 906 के खेत की पश्चिमी मेड के पास, आम रास्ता खसरा न0 919 तक जाने वाले रास्ते तक, 15 फुट चौडाई तथा लम्बाई खसरा न० 909 से 919 तक अप्रार्थी कम 2 से पेमाईश कराई जाकर जितना रकबा रास्ते के रूप में तय किया जाता है, धारा 251 (ए) आर.टी. एक्ट के प्रावधान के अनुसार नियमानुसार डबल डी.एल.सी. से राशि तय की जाती है. जिसे प्रार्थी नियमानुसार जमा कराने को तैयार है, राशि जमा होने पर उपरोक्त अनुसार रास्ते के रूप में प्रार्थी का नाम उपरोक्त भूमि के खाते में दर्ज करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी कम 2 स्टेट आफ राजस्थान लेण्ड होल्डर होने से फोरमल पक्षकार बनाया गया है। वाद कारण सन 2020 से चला आ रहा है, प्रार्थी द्वारा पूर्व में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर टी एक्ट के तहत् माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार साहब रामगंजमण्डी का क्षेत्राधिकार मानकर, तहसीलदार साहब रामगंजमण्डी को ट्रान्सफर कर दिया गया तथा उपहसील चेचट कमोन्नत होकर, पूर्ण तहसील का दर्जा हासिल होने पर, श्रीमान तहसीलदार साहब रामगंजमण्डी, द्वारा प्रार्थना पत्र में किसी तरह का आदेश पारित न कर, श्रीमान तहसीलदार साहब चेचट को ट्रान्सफर करने पर, बाद सुनवाई, माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार मानते हुए प्रार्थना पत्र को धारा 251 (ए) आर टी एक्ट में प्रार्थना पत्र सक्षम

न्यायालय में प्रस्तुत करने की हिदायत देते हुए दिनांक 11.06.2024 को खारिज कर दिया है, तथा वाद कारण लगातार आज भी जारी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) रा०टी०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि इस आशय का आदेश प्रसारित किया जावे कि अप्रार्थी कम 1 की ग्राम मवासा पटवार हल्का सालेडा खुर्द तहसील चेचट के खाता स० 335 के खसरा न० 906 रकबा 0.5400 हैक्टेयर की आराजी के पश्चिमी मेड के पास से, चौडाई 15 फुट तथा लम्बाई, खसरा न० 909 से खसरा न० 919 तक, आने जाने वाले रास्ते तक नियमानुसार रिपोर्ट तहसीलदार साहब चेचट से तलब कर, डबल डी.एल.सी. की राशि तय की जाकर, पेमाईश करवायी जावे तथा नियमानुसार राशि अप्रार्थी कम 1 को अदा करवाई जाकर, बाद आदेश राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ते की भूमि को प्रार्थी के खाते में रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश प्रदान करे तथा राजस्व नक्शा ट्रेस इसी अनुसार रास्ता दर्शित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रार्थी के पक्ष में हो, प्रार्थी को दिलवायी जावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.09.2025 के द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता व अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 906 में कायम किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.09.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.09.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.09.2025 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हुक्म जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.09.2025 वस्तुस्थिति तथा विधि के सर्वथा विरूद्ध दिया गया है, जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो, तहरीरू व मौखिक शहादत के विपरीत जाकर उसका सही रूप से विवेचन न कर अपना निर्णय पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र व उसमे अंकित काउण्टर क्लेम को सही रूप से न तो पढा न समझा, उसका सही विवेचन न कर अपना निर्णय पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि खसरा नं0 906 व 905 अपीलान्ट के आराजी के दक्षिण में स्थित कोई रास्ता न तो कभी था न उसका उपयोग रेस्पो० क्रम 1 ने कभी किया, उसने अपना आवेदन सर्वथा झूठ व मनघडन्त तथ्यो पर आधारित किया था ताकि वह अपीलान्ट पर अपनी आराजी बेच देने का दबाव बना कर ओने पोने दामो मे क्रय कर सके। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी गौर नही किया कि रेस्पो० के प्रार्थना पत्र मे नोन जोइण्डर आफ नेसेसरी पार्टी का दोष था, उसने वास्तविक खातेदारान काविज काश्त व्यक्ति को पक्षकार नही बनाया है, इस प्रकार न्याय के विपरीत जाकर मात्र अपीलान्ट को परेशान, तंग व आर्थिक रूप से अशक्त करने के उद्देश्य से रंजिश वश पेश किया गया प्रार्थना पत्र चलने योग्य ही नही था। इस प्रकार विधि के विपरीत जाकर अपना निर्णय पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2023(2) डी.एन.जे. राज. पेज 802, 2019 डी.एन.जे. रेवेन्यु पेज 11 प्रस्तुत किया। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 18.09.2025 निरस्त किए जाने तथा, अपीलान्ट का काउण्टर क्लेम स्वीकार किए जाने एवं अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो रास्ता अपीलांट की भूमि में कायम किया है वह रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की भूमि में आने जाने हेतु मौके पर विद्यमान नहीं है। प्रश्नगत रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित रास्ते की मोका रिपोट तलब की गई है जो पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 13.06.2025 को अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उपस्थिति में तैयार की गई है। मोका रिपोर्ट दिनांक 13.06.2025 पर अपीलांट के स्वयं के

हस्ताक्षर अंकित है। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 13.06.2025 में भी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता अपीलांट के खाते की खसरा संख्या 906 में विद्यमान होने का अंकन है। प्रश्नगत रास्ता निकटतम एवं आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1 के रूप में पक्षकार रहा है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.09.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खाारिज किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2019(1) आर.आर.टी. पेज 285 प्रस्तुत किया। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.09.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वयं के खाते की भूमि खसरा नम्बर 909 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा संख्या 906 की भूमि में कायम किए जाने का अनुतोष चाहा है। प्रश्नगत खसरा संख्या 906 की भूमि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार धनराज पुत्र बंसीलाल की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पूर्व में एक प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा दिनांक 01.02.2021 को अपने प्रकरण संख्या 01/2021 पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा दिनांक 27.01.2023 को प्रकरण स्वयं के श्रवणाधिकार का नहीं होना बताकर प्रकरण संख्या 01/2021 को न्यायालय तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के निर्णय दिनांक 27.01.2023 की पालना में न्यायालय नायब तहसीलदार चेचट द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.02.2023 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय नायब तहसीलदार चेचट ने अपने आदेश दिनांक 11.06.2024 के द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को

श्रवणाधिकार स्वयं का नहीं होने के आधार पर खारिज किया गया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र (प्रकरण संख्या 01/2021) में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 3 में स्वयं के खाते की खसरा संख्या 909 की भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 907 व 908 के पश्चिम की मेड़ पर रास्ता विद्यमान होने तथा उक्त रास्ते से अपने खाते की भूमि में आवागमन करने का कथन किया है तथा प्रार्थना–पत्र(प्रकरण संख्या 01/2021) में खसरा संख्या 907 व 908 के खातेदारान कालूलाल पुत्र तोला निवासी मवासा तथा कंवरलाल पुत्र भैरूलाल निवासी सालेड़ा खुर्द को पक्षकार कायम किया गया था। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.11.2022 को संशोधित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया ,जिसमें प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वयं के खाते की प्रश्नगत खसरा संख्या 909 की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा संख्या 905 व 906 के मध्य की मेड़ पर विद्यमान होने का कथन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 4 में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वयं के खाते की खसरा संख्या 909 की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा संख्या 906 की पश्चिमी मेड़ में विद्यमान होने का कथन किया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत खसरा संख्या 906 के लगवां स्थित खसरा संख्या 905 के खातेदारान को प्रकरण में पक्षकार कायम किया जाना आवश्यक था। परन्तु हस्तगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा खसरा संख्या 905 के खातेदारान को पक्षकार कायम नहीं किया गया है। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आपत्तियों में अपीलांट के खाते की खसरा संख्या 906 की भूमि में कोई रास्ता विद्यमान नहीं होने का अंकन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट दिनांक 27.05.2024 संलग्न है जिसमें भी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वांछित रास्ते की खसरा संख्या 906 की भूमि में मोके पर कोई रास्ता विद्यमान नहीं होने का अंकन है। साथ ही प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वयं के खाते की भूमि में आने जाने हेतु तथाकथित रास्ते की स्थिति के सम्बंध में विरोधाभासी कथन रहे है। अतः हमारे मत में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत रास्ते की स्थिति के सम्बंध में स्पष्ट कथन अंकित नहीं किए गए है जिससे यह निर्धारित किया जाना संभव नहीं है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं के खाते की भूमि में आने जाने हेतु किस रास्ते का उपयोग करता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मोका रिपोर्ट दिनांक 13.06.2025 के आधार पर प्रश्नगत खसरा संख्या 906 की भूमि में रास्ता कायम किया गया है, उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 13.06.2025 में भी मोके पर कोई रास्ता नहीं होने का अंकन है। चूंकि पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विवादित रास्ता खसरा संख्या 905 एवं खसरा संख्या 907 व 908 में विद्यमान होने का कथन किया गया है अतः हमारे मत में खसरा संख्या 905 एवं खसरा संख्या 907 व 908 के खातेदारान को भी

हस्तगत प्रकरण में पक्षकार कायम किया जाना आवश्यक है। साथ ही उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विवादित रास्ते की रिपोर्ट वैकल्पिक एवं निकटतम रास्ते के बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की जाने के उपरांत उभयपक्षकारान को मोका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाने के उपरांत प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 06/2024 में पारित निर्णय 18.09.2025 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह खसरा संख्या 905, 907 व 908 के खातेदारान को प्रकरण में पक्षकार कायम करें तथा उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट तैयार करवाई जावे। मोका रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम, 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.01.2026 को स्वयं उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/12/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा